

EN-85203/15(3)

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा।
पत्रांक-.....। ३.....(लो),

लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक- २२.१.२०१५ वी, जनवरी 2015 ई।

मधेपुरा जिला अन्तर्गत मनरेगा योजना से संबंधित प्राप्त शिकायतों के आलोक में लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा द्वारा किये गये शिकायतों का निष्पादन की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक- ग्रा०वि०वि०-८
132/2009 (खंड)-135319 दिनांक- 11.01.2013 एवं
पत्रांक- 161125 दिनांक- 27.08.2013।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत मनरेगा योजना से संबंधित कुल-321 (तीन सौ ईक्कीस) प्राप्त शिकायत आवेदन के आलोक में लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा द्वारा किये गये कुल-312 (पूर्व में-282 वर्तमान में-30) शिकायतों का निष्पादन की सूचना संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृप्या पायती स्वीकार किया जाय।

अनुग्रनक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
Dinesh Kumar 22-1-2015
(धर्मन्द्र कुमार)
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

कार्यलय, लोकपाल मनरेगा, मध्यपुरा

लोकपाल का मासिक कार्य प्रतिवेदन

khn

जिला का नाम— मध्यपुरा

माह-जनवरी (21.01.2015 तक) वर्ष- 2014-15

क्र. लोकपाल का नाम	माह के आरंभ तथा लंबित तोतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद (शिकायत) पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद की संख्या	लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में अनुकूल पारित आदेश का शिकायतवार स्थान
०१	०२	०३	०४	०५	०६
१. धर्मेन्द्र कुमार	०९	०३	३२१	$282+30=312$	<p><u>शिकायत का विषय:-</u></p> <p>१. श्री फुलाकुमार चादव पिता पचेन चादव, स्थान जोगवनी वाई सं०-१५, याना पंचायत चिकनी, प्रखंड गङ्गहरिया, जिला भर्द्यापुरा के द्वारा किया गया शिकायत मन्त्रेगा योजना में जॉब कार्ड एवं काम दिलाने से संबंधित है।</p> <p><u>शिकायतवार स्थान:-</u></p> <p>प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मन्त्रेगा, भर्द्यापुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, गङ्गहरिया से जॉब कर जॉब प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मन्त्रेगा, गङ्गहरिया द्वारा जॉब प्रतिवेदन</p>

उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, गम्भरिया द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्री फुलखुमार यादव को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा चूँका है। शिकायतकर्ता का जॉब कार्ड सं0-2404 है। उन्हें ग्राम पंचायत चिकनी में योजना सं0/वार्ष- 02/2014-15 में दिनांक-08. 01.2015 से कार्य करने की सूचना दे दी गयी है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, गम्भरिया द्वारा दिये गये जॉच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है।

शिकायत का विषय:-

2. श्री शंभू यादव पिता भूमि यादव, सा० जोगवनी वार्ड सं0-15, ग्राम चिकनी, प्रखण्ड गम्भरिया, जिला मध्यपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में जॉब कार्ड एवं काम दिलाने से संबंधित है।

शिकायतवार साट:-

प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा, मध्यपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, गम्भरिया से जॉच कर जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी,

मनरेगा, गङ्गरिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, गङ्गरिया द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्री शंभू यादव को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। शिकायतकर्ता का जॉब कार्ड सं0-2406 है। उन्हें आम पंचायत चिकनी में योजना सं0/वर्ष-02/2014-15 में दिनांक-08.01.2015 से कार्ड करने की सूचना दे दी गयी है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, गङ्गरिया द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है।

शिकायत का विषय:-

3. श्री राजकुमार चादर पिता पचेन चादव, साठ जोगवनी वाई सं0-15, याम पंचायत चिकनी, प्रखंड गङ्गरिया, जिला मध्यपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में जॉब कार्ड एवं काम दिलाने से संबंधित है।

शिकायतवार सार:-

प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा, मध्यपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, गङ्गरिया से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी,

मनरेगा, गम्फरिया द्वारा जौँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, गम्फरिया द्वारा समर्पित जौँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्री राजकुमार चादव को जॉब कार्ड उपलब्ध शिकायतकर्ता का जॉब कार्ड सं०-२४०५ है। उन्हें ग्राम पंचायत चिकनी में योजना सं०/वर्ष-०२/ २०१४-१५ में दिनांक-०८.०१.२०१५ से कार्ड करने की सूचना दी गयी है।

आतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, गम्फरिया द्वारा दिये गये जौँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है।

शिकायत का विषय:-

4. श्री राजेश कुमार पिता भोला चादव, साठ जोगवनी वार्ड सं०-१३, ग्राम पंचायत चिकनी, प्रखण्ड गम्फरिया, जिला नाथपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में जॉब कार्ड एवं काम दिलाने से संबंधित है।

शिकायतवार सारः:-

प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा, नाथपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, गम्फरिया से जौँच कर जौँच प्रतिवेदन की

मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, गवहरिया द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, गवहरिया द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा चूँका है। शिकायतकर्ता का जॉब कार्ड सं ०-२४०७ है। उन्हें आम पंचायत चिकनी में योजना सं ०/वर्ष-०२/२०१४ - १५ में दिनांक-०८. ०१.२०१५ से कार्य करने की सूचना दी गयी है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, गवहरिया द्वारा दिये गये जॉच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है।

शिकायत का विषय:-

5. श्री अवेश कुमार उर्फ अवेश यादव पिता ओला यादव, सा० जोगवनी वार्ड सं ०-१३, ग्राम पंचायत चिकनी, प्रखंड गवहरिया, जिला मध्यपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में जॉब कार्ड रहने के बावजूद श्री काम नहीं देने से संबंधित है।

शिकायतवाट साठः-

प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा, मध्यपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी,

जन्मरिया से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, जन्मरिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन अपरस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, जन्मरिया द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्री भवेश कुमार उर्फ भवेश यादव का नया जॉब कार्ड निर्गत किया जा चुका है। जॉब कार्ड सं-०-२०८९ है। उन्हें याम पंचायत चिकनी में योजना सं-०/वर्ष-०२/ २०१४-१५ में दिनांक-०८.०१.२०१५ से कार्य करने की सूचना दी गयी है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, जन्मरिया द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है।

शिकायत का विषय:-

६. श्री गजेन्द्र यादव एवं श्रीमति उषा देवी पति-गजेन्द्र यादव, याम पंचायत-जिल्हा मध्यली, वाड सं०-०२, प्रखंड- शंकरपुर, जिला-मध्यपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में काम करने से संबंधित है।

शिकायतवाट सार:-

प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल

मनरेगा, मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, शंकरपुर से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, शंकरपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, शंकरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्री गजेन्द्र एवं उनके परिवार सं०-०२ जिरवा मधेली एवं उनके परिवार के द्वारा जॉब कार्ड एवं काम की मांग किया गया था। श्री गजेन्द्र यादव को उनके आवेदन के आधार पर जॉब कार्ड दिया दिब्धन सं०-१९४७ उपलब्ध कराया। जॉब कार्ड उपलब्ध कराने के अपरान्त अबतक इनके द्वारा कार्य की मांग न देकर मेठ बनाने हेतु मौखिक रूप से कहा गया था। लेकिन याम सभा में अब तक इनके द्वारा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। गजेन्द्र यादव का आवेदन प्राप्त होने पर उनको कार्य मुहैया करा दिया जायेगा।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, गम्हरिया द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है।

शिकायत का विषय:-

7. श्री चुधीर सरदार पिता महेन्द्र सरदार,

ग्राम-खुटीरही, ग्राम पंचायत रामनगर महेश, प्रखण्ड- कुमारखण्ड, जिला-मध्यपुरा के द्वारा किया गया शिकायत अननेगा योजना से पी.सी.सी. एवं रोड ड्वाई एवं बी.पी.एल. परिवार के घर आंगन में मिट्टी भराई कार्य में आसी अनियमितता से संबंधित है।

शिकायतवार सारः-

प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मननेगा, मध्यपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, कुमारखण्ड से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मननेगा, कुमारखण्ड द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, कुमारखण्ड द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि रामनगर महेश के वाई नं.-०८ में बी.पी.एल. परिवार के घर-आंगन में मिट्टी भराई एवं पी.सी.सी. छलाई का अभिलेखीय जाँच की गई। अभिलेखीय जाँच में पाया गया कि वाई नं.-०८ में इस दो योजना, बी.पी.एल. परिवार के घर-आंगन में मिट्टी अराई से संबंधित तथा एक पी.सी.सी. छलाई कार्य से है। बी.पी.एल. परिवार में मिट्टी भराई से संबंधित योजना सं-०-०३/२०११-१२ में कुल २३ परिवारों का प्रावक्तव्य तैयार किया गया था। जाँच के क्रम में वहाँ उपस्थित लाभुकों से पूछ-ताछ की गई।

लोगों ने स्वीकार किया कि हमलोगों के घर आंगन में मिट्टी भराई कार्य किया गया है एवं किये गये कार्य में हमलोगों को किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है।

पी.सी.सी. छाई कार्य योजना सं-०-०६/१३-१४ है। इस योजना में स्थलीय जाँच के क्रम में जगठ-जगह मोटाई एवं चौड़ाई मापी गई। माप लेने के क्रम में पात्या गाया कि मोटाई ४ फीट (लगभग) एवं चौड़ाई १० फीट एवं कहीं-कहीं १० फीट से भी अधिक पाया।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, गवर्नरिया द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है।

शिकायत का विषय:-

८. श्री छठ्ठ मंडल(वार्ड सं-०-०४) एवं अन्य २२ शिकायतकर्ता:-
९. श्री छठी मंडल (१०) श्री गोपाल मंडल (११) श्री पवन मंडल (१२) श्रीमति संझा देवी (१३) श्री शिवो मंडल (१४) श्री विथुनदेव मंडल (१५) श्री गुशाहल मंडल (१६) श्री लखवन साह (१७) श्रीमति मंजु देवी (१८) श्री अमृत तांती (१९) श्री अर्जुन साह (२०) श्री अनिल साह (२१) श्री नंदलाल मंडल (२२) श्री वरिशलाल

मंडल (23) श्री मिथिलेश मंडल (24)
 श्रीमति सुलेखा देवी (25) श्री भूपेन्द्र साह
 (26) श्रीमति कुरुका देवी (27) श्री प्रदीप
 साह (28) श्रीमति अकाली देवी (29) श्री
 सुखुमार मंडल (30) श्रीमति गीता देवी,
 ग्राम पंचायत श्रीनगर वाई सं0-04, प्रखंड
 घैलाड, जिला मधेपुरा के द्वारा किया गया
 शिकायत मनरेगा योजना में मिट्टी भराई
 कार्य में कानून करने के बावजूद भी
 मजदूरी नहीं देने से संबंधित है।


शिकायतबाट सारः-

प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल
 मनरेगा, मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम
 पदाधिकारी, घैलाड से जाँच कर जाँच
 प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम
 पदाधिकारी, मनरेगा, घैलाड द्वारा जाँच
 प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम
 पदाधिकारी, घैलाड द्वारा समर्पित जाँच
 प्रतिवेदन के उपरान्त लोकपाल मनरेगा
 कार्यालय के पत्रांक-164 दिनांक-20.11.
 2014 के आलोक में दोनों पक्षों की
 उपस्थिति में दिनांक-29.11.2014 को
 पूर्वहिन 11:00 बजे सुनवाई हेतु पञ्च
 निर्जन किया गया। लोकपाल
 मनरेगा, मधेपुरा कार्यालय में दिनांक-29.11.
 2014 को 11:00 बजे पूर्वहिन में
 सुनवाई के दौरान पंचायत रोजगार
 सेवक, ग्राम पंचायत-श्रीनगर एवं तत्कालीन

पंचायत तकनीकि सहायक, प्रखंड घैलाड
 उपस्थित दुए। कार्यक्रम पदाधिकारी
 मनरेगा, घैलाड उपस्थित नहीं हो सके।
 मुनवाई के दौरान उपर्युक्त सभी
 शिकायतकर्ता (1) श्री छट्ठ मंडल 07(सात)
 छेदी मंडल (3) गोपाल मंडल (4) विशुनदेव
 मंडल (5) भूमि तौती (6) मिथलेश कुमार
 मंडल (7) अर्जुन साह उपस्थित रहे। शेष
 16 (सोलह) शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहे।
 दोनों पक्षों की उपस्थिति में
 मुनवाई के दौरान अभिलेख का अवलोकन
 किया गया। अभिलेख के अवलोकन में
 पाया गया कि उपस्थित 07(सात)
 शिकायतकर्ता में से 02(दो) शिकायतकर्ता
 का (श्री छट्ठ मंडल एवं अर्जुन साह) नाम
 मरम्टर रोल में वा एवं उसका माजदूरी का
 भुगतान एडमाइस के माध्यम से बैंक के
 द्वारा किया जा चुका है। शेष 05(पाँच)
 शिकायतकर्ता का नाम मरम्टर रोल में नहीं
 था एवं पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा
 कहा गया कि इसके द्वारा इस योजना में
 काम नहीं किया गया है इसलिए इसका
 मजदूरी भुगतान नहीं किया गया। पंचायत
 रोजगार सेवक के द्वारा कहा गया कि
 उपर्युक्त सभी शिकायतकर्ता में से जो भी
 शिकायतकर्ता भिट्टी भराई कार्य में काम
 किया है उसका भुगतान एडमाइस के
 माध्यम से कर दिया गया है। शेष जो भी

माध्यम से कर दिया गया है। शेष जो भी बचे शिकायतकर्ता हैं उसका शिकायत गलत है।

अतः अधिकारीय जाँचोपरान्त उव्वत् तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।


22-1-2015
(धनेश्वर कुमार)
लोकपाल, मनरेगा,
मधेपुरा।

CN - 3590/15

(54)
(55)

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा।

पत्रांक-...02....(लो),

★ लोकपाल मनरेगा,
★ मधेपुरा।सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक- ०३.१.२०१५ ई।

मधेपुरा जिला अन्तर्गत मनरेगा योजना से संबंधित प्राप्त शिकायतों के आलोक में लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा द्वारा किये गये शिकायतों का निष्पादन की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक- ग्रा०वि०वि०-८(थ) 132/2009 (खंड)-135319 दिनांक- 11.01.2013 एवं पत्रांक- 161125 दिनांक- 27.08.2013।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत मनरेगा योजना से संबंधित कुल-318 (तीन सौ अठारह) प्राप्त शिकायत आवेदन के आलोक में लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा द्वारा किये गये कुल-282 (पूर्व में-243 वर्तमान में-39) शिकायतों का निष्पादन की सूचना संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृप्या पावती रचीकार किया जाय।

अनुच्छनक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
Dikshu
(धर्मन्द्र कुमार) 2.1.15
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

लोकपाल का मासिक कार्य प्रतिवेदन

प्रपत्र

जिला का नाम- मधेपुरा

माह-दिसम्बर वर्ष- 2014-15

क्र.	लोकपाल का नाम	माह के आसम में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त परिवाद (शिकायत) पत्रों की संख्या	कुल परिवाद की संख्या	निष्पादित परिवाद की संख्या	लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में पारित आदेश का शिकायतवार सार			
०१	०२	०३	०४	०५	०६	०७			
१-	धर्मेन्द्र कुमार	३६	०८	३१८	२४३+३९=२८२	<p><u>शिकायत का विषय:-</u></p> <p>१. श्री अनंत कुमार मेहता पिता स्व० परमेश्वरी मोहता, ग्राम पंचायत पुरेनी वाडौ न०-०८, प्रखण्ड पुरेनी जिला मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना से किट्टी भराई एवं ईट सौलिंग कार्य में आसी अनियमितता से संबंधित है।</p>			
<u>शिकायतवार सार:-</u>									
<p>प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, पुरेनी से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम</p>									

पदाधिकारी, मनरेगा, पुरेनी द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपरक्षापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, पुरेनी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि प्रखंड पुरेनी अन्तर्गत ग्राम पंचायत पुरेनी की योजना विशाहरी स्थान ईट सौलिंग से चुम्बदेव मेहता के घर तक जाने वाली सड़क में मिट्टी भराई कार्य जिसकी योजना सं०-०१/२००९-१० है और इस योजना की प्रावक्तव्यत राशि-७०९००/- रु. मात्र की है। और पुनरीक्षित प्रावक्तव्यत-८२००४/- रुपये की है। मापी पुस्त की राशि-७८००४/- रु० की है। स्थल निरीक्षण उपराजन्त प्रतीत होता है कि अभिकर्त्ता श्री राजेश रंजन, पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा स्थल पर सिर्फ मिट्टी भराई का कार्य कराया गया है। प्रावक्तव्यत सिर्फ मिट्टी भराई कार्य का है, ईट सौलिंग का नहीं है। मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। कार्य करते हुए मजदूरों का भी फोटो अभिलेख में संलग्न है और वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा भी बतलाया गया कि मिट्टी भराई का कार्य ठुआ है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, पुरेनी द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है।

१०

शिकायत का विषय:-
 2. परिवाद/शिकायतकर्ता श्रीनन्दि उरिया देवी
 पति-स्वरूप रामलखन राम, ग्राम-बुढ़ी,
 पोरो-मुरहो,ग्राम पंचायत-मुरहो, प्रखण्ड +
 जिला-मधेपुरा द्वारा किया गया शिकायत
 मनरेगा योजना में जॉब कार्ड एवं काम
 दिलाने से संबंधित है।

शिकायतवार सारः-

प्राप्त शिकायत के आलोक में
 लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम
 पदाधिकारी, मधेपुरा से जॉब कर जॉब
 प्रतिवेदन की जाग की गई। कार्यक्रम
 पदाधिकारी, मनरेगा, मधेपुरा द्वारा जॉब
 प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम
 पदाधिकारी,मधेपुरा द्वारा समर्पित जॉब
 प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि
 शिकायतकर्ता उरिया देवी को जॉब कार्ड
 उपलब्ध कराया जा चुका है। जिसका जॉब
 कार्ड सं.-2537 है। शिकायतकर्ता को
 काम भी उपलब्ध कराया जा चुका है।
 शिकायतकर्ता को मुरहो पंचायत अन्तर्गत
 वार्ड नं-0-1 में बी.पी.एल. परिवार के घर
 आंगन में किट्टी भराई कार्ड में कार्ड का
 आवंटन कर दिया गया है तथा
 दिनांक-11.12.2014 से 24.12.2014
 तक का ई-मस्टर रॉल क्रमांक-4285
 लिंगित किया जा चुका है।

अतः कार्यक्रम पदाधिकारी,मधेपुरा

के द्वारा उपस्थापित जीवं प्रतिवेदन के आधार पर उत्तर तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।

शिकायत का विषय:-

3. श्री राजेन्द्र अद्विदेव पिता स्व० डुलारचन्द्र

अद्विदेव

4. श्री अरुण राम पिता जीतन राम
5. श्री मनोज राम पिता चमल राम
6. श्री सबनजया राम पिता स्व० रमोतार राम
7. श्री बरुण राम पिता जीतन राम
8. श्री सहो राम पिता स्व० भिसरी राम
9. श्रीमति जया देवी पति बिरेन्द्र राम
10. श्री सिकेन्दर राम पिता स्व० दुखा राम
11. श्री उमेश राम पिता जीतन राम
12. श्री दिनेश राम पिता स्व० भिसरी राम
13. श्री नन्द राम पिता स्व० अद्वी राम
14. श्री शंभू राम पिता भृवनेश्वर राम
15. श्रीमति कोशल्या देवी पति अरुण राम
16. श्रीमति पूष्ण देवी पति उमेश राम
17. श्रीमति सूकुमारी देवी पति बरुण राम
18. श्री गणेश राम पिता जीतन राम
19. श्रीमति आशा देवी पति जंजय राम
20. श्रीमति परिया देवी पति स्व० कारी राम
21. श्री चुभाष राम पिता नन्द राम
22. श्री पप्पू राम पिता संकप राम
23. श्रीमति गौरी देवी पति सिकेन्दर राम
24. श्री संजय राम पिता स्व० रामोतार राम



25. श्रीमति गुडिया देवी पति सनोज राम
 26. श्री उपेन्द्र राम पिता स्वरूप चमल राम
 27. श्रीमति आशा देवी पति अशोक राम
 28. श्री संतोष राम पिता स्वरूप बिरेन्द्र राम
 29. श्रीमति टिकु देवी पति संतोष राम
 30. श्रीमति मुख्यरी देवी पति राजेन्द्र ऋषिदेव
 31. श्री रामदेव ऋषिदेव पिता राजेन्द्र ऋषिदेव
 32. श्रीमति जालो देवी पति यत्नो राम
 33. श्रीमति प्रभा देवी पति मनोज राम
 34. श्री सरोज राम पिता अलूण राम
 35. श्री चन्दन राम पिता भीरो राम
 36. श्री शंकर राम पिता शीताराम राम
 37. श्री सरदीप राम पिता सीताराम राम
 38. श्री कपिलदेव राम पिता तेतर राम
 39. श्रीमति मंजूला देवी पति स्वरूप रामोतार
 राम
 ग्राम पंचायत रजनी, मंदिर टोला वाई
 सं०-१३ प्रखण्ड-मुरलीगंज ढाया किया गया
 शिकायत मुरलीगंज प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम
 पंचायत रजनी से प्राप्त शिकायत आवेदन
 मुमित कुमार मंडल, पंचायत रोजगार
 जेवक, ग्राम पंचायत रजनी, प्रखण्ड मुरलीगंज
 के छात्र बैंक में खाता खुलवाने के नाम
 पर ११०-/- के लेने एवं पासबुक नहीं देने
 से संबंधित है।

शिकायतवार सारः-

प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल
 मनरेगा, मधेपुरा ढाया कार्यक्रम पदाधिकारी,

(४)

मुरलींगज से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मन्दिरेगा, मुरलींगज छारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, मुरलींगज छारा उमर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि सभी शिकायतकर्ता से आवश्यक कागजात उपलब्ध करते हुए पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत रजती को बखुधा केन्द्र के सहयोग से 07 (सात) दिनों के अंदर खाता खुलावाले हेतु कहा गया। आता योलने के उपरान्त भवदीय को सूचित कर दिया जायेगा।

अतः कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा उपस्थापित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यक्रम पदाधिकारी, मन्दिरेगा, मुरलींगज को निर्देशित करते हुए कि निर्णय प्राप्ति के 07 (सात) दिनों के अंदर सभी शिकायतकर्ता का खाता खुलावाले के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना युनिशन लाई, उक्त तथ्यों के आलोक में कारबले का निष्पादन किया जाता है।

अधीक्षण २०१०.
(धर्मनन्द कुमार)
लोकपाल, मन्दिरेगा,
मधेपुरा।


13

30

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा ।

पत्रांक-...०!... (लो),

प्रेषक,



लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
पटना।

મધેપુરા, દિનાંક... ૦૩, જાનવરી ૨૦૧૫ ઈ૦।

मध्यपुरा जिला में पदस्थापित लोकपाल, मनरेगा द्वारा वित्तीय वर्ष-2014-15 का त्रि-मासिक प्रतिवेदन (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर-2014) एवं दिये गये निर्णय का प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में कहना है कि मधेपुरा जिला में दिनांक-31.12.2014 तक कुल-318 (तीन सौ अङ्गठारह) प्राप्त शिकायत के आलोक में लोकपाल, मनरेगा, मधेपुरा द्वारा 282 (दो सौ बेरासी) शिकायतों का सुनवाई के उपरान्त निर्णय पारित किया गया है। जिसमें माह-अवस्थाएँ, नवम्बर दिसम्बर-2014 में कुल-42 (बियालीस) शिकायतों का निर्णय पारित किया गया है।

अतः माह-अक्टूबर, नवम्बर दिसम्बर 2014 का त्रि-माषिक कुल- 42(बियालीस) शिकायतों का लिये गये निर्णय का अद्यतन छाया प्रति संलग्न कर भेज रहा हूँ।

कृपया पावती स्वीकार किया जाय।

अनुग्रहकः— ४२ (बियालीस) पारित निर्णय की
छाया प्रति संलग्न।

विश्वासभाजन,

धूम्राचा
 (धर्मेन्द्र कुमार) २.१.१५
 लोकपाल मनरेगा,
 मधेपुरा ।

निर्णय

७१

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा।

परिवाद/शिकायत आवेदक श्री दुनटुन मंडल पिता स्व० देबो मंडल एवं अन्य लगभग 20 शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत- नरदह वार्ड न०-०१, प्रखंड-पुरैनी, जिला-मधेपुरा द्वारा दूरभाष के मध्यम से किया गया शिकायत मनरेगा योजना में काम कराने के बावजूद भी मजदूरी नहीं देने से संबंधित है। शिकायतकर्ता का शिकायत है कि पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न योजनाओं (मिट्टी भराई एवं ईट सौलिंग कार्य) में सभी मजदूरों से काम कराने के उपरान्त किसी को भी मजदूरी नहीं दिया गया एवं मजदूरी देने के नाम पर सभी मजदूरों को उपमुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत नरदह के द्वारा रात्रि के लगभग 10 बजे 100-100 रु. सभी मजदूरों को देकर फर्जी तरीके से मस्टर रोल एवं अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान लगवा लिया एवं पासबुक तथा जॉबकार्ड जब्त कर लिया। इस संबंध में कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, पुरैनी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, पुरैनी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गय है कि दुनटुन मंडल पिता स्व० देबो मंडल के द्वारा नरदह पंचायत के किसी योजना में काम नहीं किया गया है जिसकी पुष्टी वहाँ के ग्रामीणों ने भी की है, मस्टर रॉल में भी कहीं उनका नाम नहीं है। नरदह पंचायत की योजना पी.डब्लू.डी. सङ्क से उपेन्द्र मेहता के घर तक ईट सौलिंग जीर्णद्वार कार्य, शंभुचौधरी के घर से बिनो साह के घर तक ईट सौलिंग जीर्णद्वार कार्य एवं पी.डब्लू.डी. रोड से नरदह पोखर तक सङ्क में मिट्टी भराई, ईट सौलिंग सह पुलिया निर्माण कार्य के किसी योजना में दुनटुन मंडल का नाम मस्टर रोल में अंकित नहीं है और उपरोक्त योजना में कार्य करने वाले मजदूरों ने भी अपना व्यान देकर इस बात की पुष्टि की है।

दुनटुन मंडल से संपर्क करने पर उन्होंने भी बताया कि मेरी ओर से ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया गया है और न ही दूरभाष के माध्यम से शिकायत की गई है। पंचायत में राशि के अभाव में मजदूरों का भुगतान लंबित है। राशि आते हीं उनको भुगतान कर दी जायेगी। राशि मजदूरों को खाते के माध्यम से भुगतान की जाती है न कि नगद द्वारा। सभी मजदूरों का पासबुक एवं जॉब कार्ड मजदूरों के पास हीं हैं।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।

Dr. K. M. S. 28.10.14
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....।५.६. (लो.) / दिनांक....२५.१०.२०१४ ई०।

प्रतिलिपि:- दुनटुन मंडल पिता स्व० देबो मंडल ग्राम पंचायत-नरदह, प्रखंड-पुरैनी सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत नरदह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यक्रम पदाधिकारी, पुरैनी को सूचनार्थ प्रेषित।

Dr. K. M. S. 28.10.14
लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा।

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा

निर्णय


परिवाद / शिकायतकर्ता श्री ज्ञानसागर दास ग्राम-वृन्दावन, पो ०५ पंचायत-दीनापट्टी सखुआ, प्रखंड-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मुरलीगंज प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत दीनापट्टी सखुआ में मनरेगा योजना से वर्ष-2010-11 में मिट्टी भराई एवं आर.सी.सी. पुल निर्माण और वर्ष 2011-12 में सखुआ पासवान टोला हाट से बेलदौर नहर तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य में घोर अनियमितता से संबंधित है। इस संबंध में लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, मुरलीगंज से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा जाँच प्रतिवेदन लोकपाल, मनरेगा, मधेपुरा को उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि मेरे द्वारा योजना का स्थलीय जाँच किया गया। स्थलीय जाँच में पाया गया कि वर्ष-2010-11 में योजना मिट्टी एवं आर.सी.सी. पुल निर्माण का था वह पूर्ण करा ली गई है। मिट्टी कार्य पूर्ण हो चूँका है, चूँकि योजना दो वर्ष पुरानी है इसलिए कहीं-कहीं मिट्टी बरसात के कारण बह गया है। आर.सी.सी. पुल का कार्य भी पूर्ण हो चुका है और इन दोनों योजना में कहीं कोई गड़वरी प्रतीत नहीं होता है। स्थलीय जाँच के क्रम में स्थानीय लोगों से भी पूछ-ताछ की गई एवं योजना में काम करने वाले मजदूरों से भी पूछ-ताछ किया गया। किसी भी व्यक्तियों द्वारा कोई शिकायत नहीं किया गया एवं कोई भी मजदूर के द्वारा मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत नहीं की गई। अभिलेखीय जाँचोपरान्त पाया गया कि:-

1. योजना सं०-०७/2010-11 योजना का नाम-वृन्दावन बड़ी नहर से पश्चिम सङ्क में पोखराम सीमा तक मिट्टी भराई एवं आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य। इसका प्राक्कलित राशि-4,36,223 रु. है, तथा मापी पुस्त की राशि-4,13,901 रु. का है। इस योजना का क्रियान्वयन ऐजेन्सी पंचायत रोजगार सेवक, श्री बिहारी राम है।

वर्ष-2011-12 में सखुआ पासवान टोला से बेलदौर नहर तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य में घोर अनियमितता से संबंधित शिकायत के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मुरलीगंज द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मेरे द्वारा स्थलीय जाँच किया गया एवं ग्रामीणों से पूछ-ताथ किया गया। जाँच के क्रम में पाया कि सखुआ पासवान टोला से बेलदौर नहर तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य पूर्ण करा ली गई है एवं कार्य संतोषजनक है। कार्य दो वर्ष हो जाने के कारण मिट्टी कहीं-कहीं बह गया है एवं ईट सोलिंग कहीं-कहीं उच्चर गया है और सङ्क कहीं-कहीं धस गया है। ग्रामीणों से भी जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कार्य स्थल पर कार्य बिलकुल सही-सही हुआ एवं हमलोगों के देख-रेख में हुआ है। उक्त योजना में काम करने वाले मजदूरों से भी पूछ-ताछ किया गया तो किसी भी मजदूर के द्वारा मजदूरी नहीं मिलने का शिकायत नहीं किया गया। अभिलेखीय जाँचोपरान्त पाया गया कि:-

2. योजना सं०-०२/2011-12 योजना का नाम-सखुआ पासवान टोला बेलदौर नहर से सखुआ बस्ती तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि-9,97,038 रु. है। मापी पुस्त की राशि-9,02,722 रु. है। इस योजना में मजदूरी पर व्यय-4,53,170 रु. का हुआ है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आलोक में भासले का निष्पादन किया जाता है।


 लोकपाल मनरेगा, २९.११.१५
 मधेपुरा।



निर्णय

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा।

परिवाद / शिकायतकर्ता श्री लालो ऋषिदेव(वार्ड नं०-०५) पिता स्व० रघुनी ऋषिदेव एवं श्यामसुन्दर ठाकुर (वार्ड नं०-०४) ग्राम रामगंज, ग्राम पंचायत कुमारखंड, प्रखंड-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत बी.पी.एल. परिवार को मिट्टी भराई कार्य से वंचित रखने से संबंधित है। शिकायतकर्ता का शिकायत है कि उक्त दोनो वार्ड में सभी बी.पी.एल. परिवार के घर में मिट्टी भराई कार्य किया जाना था किन्तु तीन-चार घरों में मिट्टी भराई कार्य किया और बोर्ड पर लिख दिया कि कार्य पूर्ण हो चुका है। शिकायत आवेदन के आलोक में लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा के द्वारा इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, कुमारखंड से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, कुमारखंड द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि लालो ऋषिदेव के द्वारा लिखित प्रतिवेदित किया गया है कि मेरे घर-आंगन में मिट्टी भराई हो गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ साथ हीं आवेदक श्री श्यामसुन्दर ठाकुर वार्ड सं०-०४ के सरदार टोला के वासी हैं, उस वार्ड में अभी तक राशि के अभाव में मिट्टी भराई कार्य का कोई अभिलेख नहीं खोला गया है। राशि प्राप्त होते हीं सभी इच्छुक लाभार्थी के घर-आंगन में मिट्टी भराई कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, कुमारखंड के द्वारा प्रतिवेदित अभिलेखीय विवरणी इस प्रकार है:-

1. योजना का नाम:- महादलित टोला में बी.पी.एल. लाभार्थी के जमीन में मिट्टी भराई कार्य।
2. योजना सं०/वर्ष:- 24/2013-14
3. प्राक्कलित राशि:- 8,80,412=00 रु.
4. मापीपुस्त की राशि:- 4,82,658=00 रु.
5. व्यय की गई राशि:- 3,900=00 रु.

अतः कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा उपस्थापित जाँच प्रतिवेदन एवं शिकायतकर्ता द्वारा दिए गये लिखित प्रतिवेदन के आधार पर उक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।

D.Kumar
लोकपाल मनरेगा, 29.11.14
मधेपुरा।

ज्ञापांक १३०(लो.) / दिनांक २९. नवम्बर 2014 ई०।

प्रतिलिपि:- शिकायतकर्ता, श्री लालो ऋषिदेव पिता स्व० रघुनी ऋषिदेव (वार्ड नं०-०५) एवं श्री श्यामसुन्दर ठाकुर (वार्ड सं०-०४) ग्राम रामगंज, ग्राम पंचायत-कुमारखंड, प्रखंड-कुमारखंड जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यक्रम पदाधिकारी, कुमारखंड को सूचनार्थ प्रेषित।

D.Kumar
लोकपाल मनरेगा, 29.11.14
मधेपुरा।

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा।

निर्णय

परिवाद / शिकायतकर्ता श्री अनंत कुमार मेहता पिता स्व0 परमेश्वरी मेहता , ग्राम पंचायत पुरैनी वार्ड नं0-08, प्रखंड पुरैनी जिला मधेपुरा के द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना से मिट्टी भराई एवं ईट सौलिंग कार्य में भारी अनियमितता से संबंधित है। शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत किया गया है कि पुरैनी ग्राम पंचायत के वार्ड नं0-08 में मनरेगा योजना से बिषहरी स्थान से लेकर सहेन्द्र सिंह के घर तक मिट्टी भराई एवं ईट सौलिंग कार्य करना था परन्तु तत्कालीन मुखिया श्रीमति ललीता देवी एवं तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक श्री राजेश रंजन के द्वारा कार्य स्थल पर सिर्फ मिट्टी भराई का ही कार्य कहीं-कहीं किया गया एवं ईट सौलिंग कार्य बिलकुल हीं नहीं किया गया। इस संबंध में कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा के सौलिंग कार्य किया गई। कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, पुरैनी से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, पुरैनी पदाधिकारी, पुरैनी द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, पुरैनी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि प्रखंड पुरैनी अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि प्रखंड पुरैनी अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सुखदेव मेहता के घर तक जाने वाली सड़क में पुरैनी की योजना बिषहरी स्थान ईट सौलिंग से सुखदेव मेहता के घर तक जाने वाली सड़क में मिट्टी भराई कार्य जिसकी योजना सं0-01/2009-10 है और इस योजना की प्राक्कलित राशि—70900 रु. मात्र की है। और पुनरीक्षित प्राक्कलन—82004 रुपये की है। मापी पुस्त की राशि—78004 रु0 की है। स्थल निरीक्षण उपरान्त प्रतीत होता है कि अभिकर्ता श्री राजेश राशि—78004 रु0 की है। स्थल निरीक्षण उपरान्त प्रतीत होता है कि अभिकर्ता श्री राजेश राशि—78004 रु0 की है। रंजन, पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा स्थल पर सिर्फ मिट्टी भराई का कार्य कराया गया है। प्राक्कलन सिर्फ मिट्टी भराई कार्य का है, ईट सौलिंग का नहीं है। मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। कार्य करते हुए भजदूरों का भी फोटो अभिलेख में संलग्न है और वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा भी बतलाया गया कि मिट्टी भराई का कार्य हुआ है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।

लोकपाल मनरेगा, 23.12.14
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....182.....(लो.) / दिनांक.....23.....वीं, दिसम्बर 2014 ई0

प्रतिलिपि:- श्री अनंत कुमार मेहता पिता स्व0 परमेश्वरी मेहता ग्राम पंचायत पुरैनी वार्ड सं0-08, प्रखंड पुरैनी जिला मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यक्रम पदाधिकारी, पुरैनी को सूचनार्थ प्रेषित।

लोकपाल मनरेगा, 23.12.14
मधेपुरा।

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा निर्णय

परिवाद/शिकायतकर्ता श्रीमति उरिया देवी पति-स्व० रामलखन राम, ग्राम-बुढ़ी, पो०-मुरहो, ग्राम पंचायत-मुरहो, प्रखंड + जिला-मधेपुरा द्वारा किया गया शिकायत मनरेगा योजना में जॉब कार्ड एवं काम दिलाने से संबंधित है। शिकायतकर्ता का शिकायत है कि मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य का जॉब कार्ड अभी तक नहीं बना है। मैं एक विधवा महिला हूँ, मैं मनरेगा योजना में काम करना चाहती हूँ। मेरा खाता सं.- ३३८७३७६५९३८ (सी.एस.पी. नाढ़ी) है। शिकायतकर्ता के द्वारा कई बार पंचायत रोजगार सेवक, मुखिया एवं कार्यक्रम पदाधिकारी से काम की मांग किया परन्तु उसके द्वारा शिकायतकर्ता को काम नहीं दिया गया। इस संबंध में कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता उरिया देवी को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। जिसका जॉब कार्ड सं.- २५३७ है। शिकायतकर्ता को काम भी उपलब्ध कराया जा चुका है। शिकायतकर्ता को मुरहो पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं०-११ में बी.पी.एल. परिवार के घर आंगन में मिट्टी भराई कार्य में कार्य का आवंटन कर दिया गया है तथा दिनांक- ११.१२.२०१४ से २४.१२.२०१४ तक का ई-मर्स्टर रॉल क्रमांक- ४२८५ निर्गत किया जा चुका है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है।

संग्रह २७.१२.१५
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

ज्ञापांक. १८८० (लो.) दिनांक. २८.१२.१५, दिसम्बर २०१४ ई०।

प्रतिलिपि:- श्रीमति उरिया देवी पति स्व० रामलखन राम, ग्राम-बुढ़ी, ग्राम पंचायत-मुरहो, प्रखंड+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

संग्रह २७.१२.१५
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा

निर्णय

परिवाद/शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र ऋषिदेव पिता स्व० दुलारचन्द्र ऋषिदेव एवं अन्य 36 मजदूर ग्राम-पंचायत रजनी, मंदिर टोला वार्ड सं०-१३ प्रखंड-मुरलीगंज द्वारा किया गया शिकायत मुरलीगंज प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत रजनी से प्राप्त शिकायत आवेदन सुमित कुमार मंडल, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत-रजनी, प्रखंड मुरलीगंज के द्वारा बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर 110/- रु. ले लिया है। जबकि पासबुक अभी तक नहीं दिया है। शिकायतकर्ता का शिकायत है कि हमलोग मनरेगा योजना में काम करना चाहते हैं। काम की मांग के लिए आवेदन भी दिया था। पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा सभी मजदूरों को कहा गया कि पहले अपना-अपना बैंक में खाता खुलवाओ फिर काम देंगे। इस एवज में पंचायत रोजागर सेवक श्री सुमित कुमार मंडल ने प्रत्येक मजदूर से 110/- रु० नकद राशि लिया परन्तु अभी तक न हीं पासबुक दिया और न हीं काम हीं उपलब्ध करा सका। इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मुरलीगंज से कार्यालय लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा द्वारा जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मुरलीगंज द्वारा जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि सभी शिकायतकर्ता से आवश्यक कागजात उपलब्ध करते हुए पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत रजनी को वसुधा केन्द्र के सहयोग से 07 (सात) दिनों के अंदर खाता खुलवाने हेतु कहा गया। खाता खोलने के उपरान्त भवदीय को सूचित कर दिया जायेगा।

सभी शिकायतकर्ता का नाम एवं पता निम्न प्रकार है:-

क्र.	मजदूर का नाम	पिता/पति का नाम	पता	अध्यक्षित
01	02	03	04	05
1.	अरुण राम	जीतन राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
2.	मनोज राम	धमन राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
3.	सनजया राम	स्व० रमोतार राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
4.	बल्लू राम	जीतन राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
5.	सत्तौ राम	स्व० मिसरी राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
6.	जया देवी	बिरेन्द्र राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
7.	सिकेन्दर राम	स्व० दुखा राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
8.	उमेश राम	जीतन राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
9.	दिनेश राम	स्व० मिसरी राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
10.	नन्दू राम	स्व० भद्री राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
11.	शंभू राम	भूयनेश्वर राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
12.	कोशल्या देवी	अरुण राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
13.	पूणम देवी	उमेश राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
14.	सूक्ष्मारी देवी	बरुण राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
15.	गणेश राम	जीतन राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
16.	आशा देवी	संजय राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
17.	परिया देवी	स्व० कारी राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
18.	सुभाष राम	नन्दू राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
19.	पप्पू राम	सरुप राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
20.	गौरी देवी	सिकेन्दर राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
21.	संजय राम	स्व० रमोतार राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
22.	गुडिया देवी	मनोज राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
23.	उपेन्द्र राम	स्व० चमल राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	
24.	आशा देवी	अशोक राम	ग्राम पंचायत-रजनी, वार्ड नं०-१३, मुरलीगंज	

25.	संतोष राम	स्व० बिरेन्द्र राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
26.	रिकु देवी	संतोष राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
27.	मुखरी देवी	राजेन्द्र ऋषिदेव	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
28.	रामदेव ऋषिदेव	राजेन्द्र ऋषिदेव	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
29.	जालो देवी	सत्तो राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
30.	प्रभा देवी	मनोज राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
31.	सरोज राम	मनोज राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
32.	चन्दन राम	अरुण राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
33.	शंकर राम	भीरो राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
34.	सरदीप राम	सीताराम राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
35.	कपिलदेव राम	तेतर राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	
36.	मंजूला देवी	स्व० रामोतार राम	ग्राम पंचायत-रजनी,वार्ड नं0-13,मुरलीगंज	

अतः कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा,मुरलीगंज के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है एवं कार्यक्रम पदाधिकारी,मुरलीगंज को निर्देश दिया जाता है कि आपके द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि सभी शिकायतकर्ता का खाता 07(सात) दिनों के अंदर खुलवाकर भवदीय को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा। सभी शिकायतकर्ता का खाता खुलवाते हुए निर्णय प्राप्ति के 02(दो) दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें।

Dhruv
लोकपाल,मनरेगा, 31.12.14
मधेपुरा।

ज्ञापांक-189.(लो.) / दिनांक-३१.वी.दिसम्बर 2014 ई०।


प्रतिलिपि:- श्री राजेन्द्र ऋषिदेव पिता स्व० दुलारचन्द ऋषिदेव एवं अन्य सभी शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत-रजनी वार्ड नं0-13,प्रखंड मुरलीगंज,जिला मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा,मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Dhruv
लोकपाल,मनरेगा, 31.12.14
मधेपुरा।

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा।

पत्रांक- १५२... (लो),


प्रेषक,

लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार बिहारी
विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक १५..., अक्टूबर २०१४ ई०।

विषय:-

वित्तीय वर्ष- २०१३-१४ एवं २०१४-१५ का अद्यतन प्रगति
प्रतिवेदन का प्रेषण।


प्रसंग:-

भवदीय का पत्रांक- २०२५६४ दिनांक- २३.०९.२०१४



महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कार्यालय,
लोकपाल, मनरेगा, मधेपुरा का वित्तीय वर्ष- २०१३-१४ एवं २०१४-१५ का
अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजा जाता
है।

कृपया पावती स्वीकार किया जाय।


अनुरूपक:- यथोक्त!


विश्वासभाजन,


(धर्मेन्द्र कुमार) १५-१०-१५
लोकपाल मनरेगा,
मधेपुरा।

कार्यालय,लोकपाल मनरेगा,मधेपुरा

वर्ष-२०१४-१५ का प्रतिवेदन:- (माह अक्टूबर-२०१४ तक)


क्र.	दिनांक-०१.०४. २०१४ तक लॉबिट वादों की सं०	२०१४-१५ में वादों की सं०	कुल वादों की सं०	निष्पादित वादों की सं०	लॉबिट वादों की सं०	आशुक्ति
०१	02	03	04	05		
1.	123	139	262	200	62	—


 लोकपाल,मनरेगा,
 मधेपुरा।
 १५ - १० - १५

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मधेपुरा

वर्ष-2013-14 का प्रतिवेदन:-

क्र.	वित्तीय वर्ष- 2013 - - 14 में कुल वादों की सं0	वित्तीय वर्ष 2013 - 14 में निष्पादित वादों की सं0	वित्तीय वर्ष 2013 - 14 तक लैंबित वादों की सं0	आळ्युकित
01	02	03	04	05
1.	163	40	123	—


 लोकपाल, मनरेगा,
 मधेपुरा।
 14.10.14

कार्यालय, लोकपाल मनरेखा, मध्यपुरा

वर्ष-2013-14 में सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों जिनके द्वारा मनरेखा योजना में अनियमितता बर्ती गई के विरुद्ध की गई कार्रवाई एवं अनुसंधित कार्रवाई की सूची:-

क्र.	सरकारी/गैरसरकारी व्यक्तियों का नाम/पता	की गई कार्रवाई	कार्रवाई के लिए की गई अनुशंसा	अन्युक्ति
01	02	03	04	05
1.	1. कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मुरलीगंज 2. पंचायत तकनीकी सहायक, मुरलीगंज 3. पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत-नाडी	शिकायत का विषय ग्राम पंचायत नाडी में कुओं निर्माण कार्य में विचौलिया द्वारा घटिया सामग्री से कार्य कराये जाने से संबंधित है। जो जाँचोपरान्त कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया गया।	इस कार्यालय के पत्रांक-12 दिनांक-16. 05.2013 के द्वारा उप विकास आयुक्त, मध्यपुरा को दोषी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया गया।	की गई कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।
2.	श्री मनीष कुमार पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत नयानगर प्रखण्ड-उदाकिशुनगंज	शिकायत का विषय अन्तर जिला में पोखर का कार्य प्रारंभ करने से संबंधित की जाँचोपरान्त सत्य पाया गया।	इस कार्यालय के पत्रांक-26 दिनांक-11. 06.2013 के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, उदाकिशुनगंज को पंचायत रोजगार सेवक के वेतन से मो-0-39,00/-रु. कठोरी कर संबंधित खाते में जमा करने के लिए अनुशंसा किया गया।	पंचायत रोजगार सेवक द्वारा मो-0-39,00/-रु. संबंधित खाते में जमा कर देने का प्रतिवेदन प्राप्त
3.	पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत-धौलाड प्रखण्ड-धैलाड	शिकायत का विषय धैलाड पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं0-09 में मनरेगा का राशि गवन करने वाले पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज अथवा राशि वसूली करने से संबंधित जाँच की गई। उप विकास आयुक्त, मध्यपुरा के निदेशानुसार कार्यक्रम पदाधिकारी,	—	—

(2)

4.	<p>1. कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मुरलीगंज प्रखंड-मध्य-मध्यपुरा।</p> <p>2. पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत-रजनी प्रखंड-मुरलीगंज।</p>	<p>धैलाड के हास पत्रांक-21, दिनांक - 04.06.2013 हास संबोधित पंचायत रोजगार सेवक से राशि की वसूली की गई। प्रतिवेदित किया गया।</p> <p>शिकायत का विषय मुरलीगंज प्रखंड मनरेगा योजना अन्तर्गत योजनाओं में अनियमितता की जौँच की गई। इस कायलिय के पत्रांक-30 दिनांक-11. 02.2014 एवं पत्रांक-56 दिनांक-24. 03.2014 के हास कार्यक्रम पदाधिकारी, मुरलीगंज एवं पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत रजनी को प्राक्कलन के अनुसार कार्य पूर्ण कराकर प्रतिवेदित करने हेतु लिखा गया।</p>
5.	कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, मध्यपुरा प्रखंड-मध्यपुरा।	<p>शिकायत का विषय बनपोषक में बहाल एवं काम कराने के बावजूद भी राशि नहीं देने से संबोधित है। उक्त शिकायत की जौँच कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्यपुरा से कराई गई। जौँचों परान्त शिकायतकर्ता को मनरेगा अधिनियम के नियमानुसार 22 दिनों का बेरोजगारी भत्ता मो-०- ८९१/- रु. कार्यक्रम पदाधिकारी के हास मुगतान कराया गया।</p>
		<p>ATR की छाया प्रति संलग्न</p>

लोकपाल, मनरेगा,
मध्यपुरा।

प्रखंड मनरेगा कार्यालय मधेपुरा

पत्रांक—५८

प्रेषक,

कार्यक्रम पदाधिकारी,
मधेपुरा।

प्रेषित,

श्री मति पुनिया देवी,
पति— श्री जितेन्द्र ऋषिदेव,
ग्राम पंचायत— मुरहो वार्ड नं०-३

मधेपुरा, दिनांक — ०८.११.२०१३

विषय : बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में।

प्रसंग: लोकपाल मनरेगा के पत्रांक 57, दिनांक 31.03.2014

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा काम की मांग दिनांक—24.10.2013 से किया गया था। परंतु दिनांक— 08.11.2013 तक 15 दिन पूरा होने के उपरांत भी कार्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उक्त संबंध में आपके द्वारा लोकपाल मनरेगा में शिकायत दर्ज कराई गई थी। लोकपाल मनरेगा द्वारा सुनवाई उपरांत बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश दिया गया है। आपके द्वारा दिनांक—08.11.2013 से दिनांक—29.11.2013 तक कुल 22 दिन की बेरोजगारी भत्ता की मांग की गई है। आपको ज्ञात हो कि ससमय काम उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मनरेगा मार्गदर्शिका के आलोक में प्रथम 30 दिन तक दैनिक मजदूरी का एक चौथाई बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस प्रकार आपको 22 दिन की बेरोजगारी भत्ता कुल मो०— 891.00 रु० दिया जाना है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि प्रखंड मनरेगा कार्यालय मधेपुरा से उक्त राशि का चेक प्राप्त कर लें। पुनः यदि आप मनरेगा में अकुशल कार्य के इच्छुक हैं तो काम की मांग हेतु आवेदन दे सकते हैं आपको कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन
कार्यक्रम पदाधिकारी,
मधेपुरा।

प्रतींलिपि : लोकपाल मनरेगा मधेपुरा को सूचनार्थ।

प्रतींलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ।

कार्यक्रम पदाधिकारी,
मधेपुरा।